हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
(1)	
पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 15/5/25 को पेश हो।	
15/5/25 पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक- 22/05/2025 को पत्रावली पेश हो।	
22/5/25 पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमियाँ प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमियाँ है, उक्त भूमियो का पारिवारिक सहमति से पूर्वजो के समय से ही बंटवारा हो रहा है, और हिस्सेनुसार अपनी भूमियो पर काश्त कर रहे है व सिचाई कर रहे है। विवादित भूमियो का विधिवत / कानूनन बंटवारा नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होते रहते है, और एक दुसरे की मेडो को तोडते रहते है। व आने जाने के रास्ते को रोकते है व चाह से सिचाई करने मे बाधा उत्पन्न करते है। ख०स० 2172/6014 आबादी के नजदीक आ जाने से अप्रार्थी स. 1 व 2 उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है व निर्माण कार्य का प्रयास किया जा रहा है। अत: अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे बिना बंटवारा कराये विवादित भूमि ख०स० 2172/6014 को रहन, बेचान नही करे, निर्माण कार्य नही करे, आने जाने के रास्ते को नष्ट नही करें, चाह से सिचाई मे व्यवधान नही करें।	
खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की विवादित भूमि ख०स० 2172/6014 आबादी के निकट स्थित है. उक्त भूमियो का पूर्व मे वादी व	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(2)
	प्रतिवादी के पूर्वजों के मध्य पूर्व मे ही पारिवारिक बटवारा होकर उसी अनुरूप काबिज काश्त चले आ रहे है। ख०स० 2172/6014 आबादी के नजदीक होने से प्लाटनुमा पूर्व में बटवारा होकर अपने 2 प्लाटो पर बाउण्ड्रीवाल की हुई है। प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगणो ने अपने हिस्से की भूमियो पर दुकानो का निर्माण कराया हुआ है। अब अप्रार्थीगण के मन मे बेईमानी आ जाने से बेदखल पर आमादा है। हम हमारे हिस्से की भूमियों पर ही काबिज है। अप्रार्थीगण निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रार्थी को पूर्व बटवारे मे प्राप्त भूमियों पर कब्जा करना चाहता है। प्रा०पत्र खारीज किया जावें।
	हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित भूमियो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है, जिनका पूर्व मे पारिवारिक बटवारा होना प्रार्थी ने प्रा०पत्र मे अंकित किया है, व विवादित भूमि पारिवारिक बटवारे मे किस के हिस्से मे रही का अंकन नही है। जबकि वकील प्रतिवादी ने पूर्व मे पारिवारिक बटवारे मे ख०न० 2172/6014 का भी बटवारा होने व बटवारे अनुसार ही ख०न० 2172/6014 में काबिज होना अंकित किया है, जिसका प्रार्थी ने कोई खण्डन नही किया है। शामलाती भूमि मे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर 2 हिस्सा निहित होता है। सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही गई है। उपरोक्त विवेचन से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।
	प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नही बन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
(3) विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से व विवादित भूमियों का पूर्व में पारिवारिक बखेरा होने व उसी अनुरूप काबिज काश्त होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में नहीं होने व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं होने से प्रा० पत्र प्रार्थी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	